



**थाना धामपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के वाँछित /15-15 हजार रुपये के पुरस्कार**

**घोषित 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।**

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही हेतु श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी धामपुर के कुशल नृतेत्व में थाना धामपुर पर दो टीमों का गठन किया गया । प्रथम टीम द्वारा आज दिनांक 15.06.2021 को मुखबीर की सूचना पर समय 10:30 बजे धामपुर में

रोडवेज बस स्टेण्ड धामपुर के पास से 15 –

15 हजार रुपये के इनामी अपराधी 1.

मुन्ना उर्फ आसिफ पुत्र अजमल उर्फ मौ० हनीफ निवासी मौहल्ला

बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर

जनपद बिजनौर , 2. अमजद पुत्र

अजमल उर्फ मौ० हनीफ निवासी

मौहल्ला बन्दूकचियान कस्बा व थाना

धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार

किया गया । द्वितीय टीम द्वारा मुखबीर की

सूचना पर समय 10:40 बजे धामपुर में

प्रयास हॉस्पिटल धामपुर के पास से 15 – 15

हजार रुपये के इनामी अपराधी 1. अकरम पुत्र अजमल उर्फ मौ० हनीफ निवासी मौहल्ला बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर

जनपद बिजनौर , 2. असलम पुत्र अजमल उर्फ मौ० हनीफ निवासी मौहल्ला बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद

बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

ये सभी गैंग बनाकर पशुओं का अवैध कटान कर तथा गौ वंशीय पशुओं का वध कर मीट विक्रय करने जैसा जघन्य अपराध कारित करते हैं । थाना हाजा से मु०अ०सं० 166/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वाँछित थे तथा लगातार फरार चल रहे थे । इन सभी चारों अभियुक्तगण गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर द्वारा दिनांक 14.06.2021 को प्रत्येक पर 15

– 15 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण**

1. मुन्ना उर्फ आसिफ पुत्र अजमल उर्फ मौ० हनीफ निवासी मौ० बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर बिजनौर

2. अमजद पुत्र अजमल उर्फ मौ० हनीफ निवासी मौ० बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3. अकरम पुत्र अजमल उर्फ मौ० हनीफ निवासी मौहल्ला बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

4. असलम पुत्र अजमल उर्फ मौ० हनीफ निवासी मौहल्ला बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

**अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास**

**अभियुक्त अमजद पुत्र अजमल उर्फ मौ० हनीफ -**

- मु०अ०सं० 166/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना धामपुर
- मु०अ०सं० 191/19 धारा 3/5/8 गौ वध निवारण अधि० थाना धामपुर
- मु०अ०सं० 83/21 धारा 269/270/272/429 भा०द०वि० व धारा 11(1)(K) , 11(1)(I) पशु क्रूरता अधि० थाना धामपुर

**अभियुक्त मुन्ना पुत्र अजमल उर्फ मौ० हनीफ -**

- मु०अ०सं० 166/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना धामपुर
- मु०अ०सं० 191/19 धारा 3/5/8 गौ वध निवारण अधि० थाना धामपुर



थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त महेंद्र पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । जिस संबंध में मु0अ0सं0 109/21 को धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

